

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2025
[उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष, 2025]

उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2025 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 2 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में - (i) खण्ड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:- “(ण) “भूमि संग्रहीकरण योजना” से इस अधिनियम की धारा 9-क के अन्तर्गत बनायी गई भूमि संग्रहीकरण योजना या भूमि संग्रहीकरण नियम अभिप्रेत है।” (ii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:- “(थ) “भूमि अधिप्राप्ति नियम” से राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति/भूमि क्रय नियमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।”
धारा 4 का संशोधन	3.	मूल अधिनियम की धारा 4 में - (क) उपधारा (2-क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ) एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। (ख) उपधारा (3) में- (i) खण्ड (क) में शब्द “अध्यक्ष” के पश्चात् शब्द “जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो” शब्द अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे। (ii) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड

- 1 -

प्रमाणित प्रति

C
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		<p>प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:- “(ग) राज्य सरकार के आवास विभाग का भारसाधक सचिव अथवा उसके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी, जो कि संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो।”</p> <p>(iii) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:- “(घ) प्रत्येक जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक (यातायात) यथास्थिति, जिसका कोई भाग विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है अथवा उसके द्वारा नामित कोई अधिकारी, जो कि पुलिस उपाधीक्षक से निम्न स्तर का न हो, पदेन;”</p> <p>(iv) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:- “(च) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी, जो कि उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो, पदेन;”</p> <p>(v) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:- “(छ) सम्बन्धित जिले का नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी अथवा शहरी स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी, पदेन;”</p> <p>(vi) खण्ड (ज) में “उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति” शब्दों के पश्चात् “जो कि उपजिलाधिकारी से निम्न स्तर का न हो,” शब्द अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे।</p> <p>(vii) खण्ड (झ) एवं (ञ) विलोपित किये जाते हैं।</p>
धारा 6 का संशोधन	4.	<p>मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:- “(घघ) उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं मल निकास अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबंध निदेशक अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति, पदेन;”</p>

प्रमाणित प्रति

C
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

धारा 7-क का संशोधन	<p>5. मूल अधिनियम की धारा 7-क के खण्ड (तेरह) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:-</p> <p>"(तेरह-क) अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 4 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी सुनना;"</p>
धारा 9-क का संशोधन	<p>6. मूल अधिनियम की धारा 9-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:-</p> <p>"9-क "नगर नियोजन योजना" एवं "भूमि संग्रहीकरण योजना":-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार एक अथवा अधिक, नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना बना सकेगा। (2) इस प्रकार बनाई गई नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना को राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। (3) यदि कोई क्षेत्र, जो स्थानीय विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है तथा वहाँ नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना तैयार एवं क्रियान्वित की जानी है, तो उस क्षेत्र को राज्य सरकार नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना के उद्देश्य एवं क्रियान्वयन हेतु स्थानीय विकास प्राधिकरण का विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगी: परन्तु, राज्य सरकार, नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन राज्य प्राधिकरण अथवा राज्य विकास प्राधिकरण से इतर किसी अन्य अभिकरण से भी करा सकेगी। (4) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना तत्समय प्रचलित महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना पर अधिभावी होगी।"

नई धाराओं 9-ख एवं 9-ग का अंतःस्थापन	7.	<p>धारा 9-क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित कर दी जायेंगी; अर्थात्:-</p> <p>"9-ख राज्य प्राधिकरण एवं स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभाव क्षेत्र की अधिसूचना:-</p> <p>(1) राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण, नगर नियोजन योजना अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना के प्रारूप यथास्थिति, के अनुमोदन उपरान्त सम्बन्धित योजना के परिधि के प्रभाव क्षेत्र को अधिसूचित कर सकेगी, चूंकि वहाँ के निवासियों को इन योजनाओं में बुनियादी ढाँचे के विकास का लाभ मिलेगा। ऐसा प्रभाव क्षेत्र सम्बन्धित योजनाओं की सीमा से 500 मी० से अधिक नहीं होगा।</p> <p>(2) प्रभाव क्षेत्र में प्रस्तावित विकास पर नियमों में विहित विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क लगेंगे।</p> <p>9-ग विकास पर प्रतिबन्ध:-</p> <p>(1) स्थानीय विकास प्राधिकरण, नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना के प्रारूप में प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी विकास या निर्माण को स्थिर कर सकेगा, जैसा कि नियमों में विहित हो।</p> <p>(2) राज्य प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरण को नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना के प्रारूप, जो कि उसके द्वारा जारी की गई हो, के किसी क्षेत्र में किसी भी विकास या निर्माण को स्थिर करने का निर्देश दे सकेगा।"</p>
धारा 17-क का संशोधन	8.	<p>मूल अधिनियम की धारा 17-क में-</p> <p>(i) खण्ड (ग) में "संकलन नीति" शब्दों के स्थान पर "भूमि संग्रहीकरण योजना" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।</p> <p>(ii) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:-</p> <p>"(घ) किसी व्यक्ति/अभिकरण/कम्पनी, निजी या सार्वजनिक से विहित नियमों के अधीन भूमि अधिप्राप्ति/भूमि क्रय/समझौते के माध्यम से भूमि का क्रय।"</p>

नई धारा 17-ग का अंतःस्थापन	9.	<p>मूल अधिनियम की धारा 17-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:-</p> <p>"17-ग स्थानीय विकास प्राधिकरण का भू-बैंक-</p> <p>(1) स्थानीय विकास प्राधिकरण को निम्नलिखित के माध्यम से निजी भू-बैंक सृजित करने की शक्ति होगी:</p> <p>(क) भूमि अर्जन के समय प्रवृत्त भूमि अर्जन अधिनियम/नियम के अधीन राज्य सरकार, अथवा</p> <p>(ख) राज्य सरकार से प्राप्त अवशेष भूमि, अथवा</p> <p>(ग) भूमि अर्जन/भूमि संग्रहीकरण योजना से, अथवा</p> <p>(घ) किसी व्यक्ति/अभिकरण/ कम्पनी, निजी या सार्वजनिक से विहित नियमों के अधीन भूमि अधिप्राप्ति/भूमि क्रय/समझौते के माध्यम से भूमि का क्रय।</p> <p>(2) स्थानीय विकास प्राधिकरण को अपने भू-बैंक से किसी भूमि को राज्य प्राधिकरण/किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण/कम्पनी/अभिकरण/व्यक्ति निजी अथवा लोक को ऐसी रीति तथा ऐसी शर्तों के निर्बन्धनों के अध्याधीन जैसा समाधीन समझा जाये, को निस्तारित/अंतरित करने की शक्ति होगी।</p>
धारा 18 का संशोधन	10.	<p>मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (6) में "जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील" शब्दों के स्थान पर "राज्य प्राधिकरण के समक्ष निगरानी" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।"</p>
धारा 55 का संशोधन	11.	<p>मूल अधिनियम की धारा 55 में-</p> <p>(क) उपधारा (1) में "या राज्य प्राधिकरण" शब्द विलोपित किये जाते हैं।</p> <p>(ख) उपधारा (2) के खण्ड (ग) को खण्ड (छ) के रूप में पुर्नसंख्याकित किया जायेगा और खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित</p>

		<p>कर दिये जायेंगे; अर्थात्:-</p> <p>(ग) धारा 9-क के अन्तर्गत भूमि संग्रहीकरण योजना को राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वयन हेतु रीति।</p> <p>(घ) धारा 9-क के अन्तर्गत नगर नियोजन योजना को राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वयन हेतु रीति।</p> <p>(ङ) विकास क्षेत्र एवं प्रभाव क्षेत्र में विकास शुल्क का उद्ग्रहण।</p> <p>(च) किसी व्यक्ति /अभिकरण/कम्पनी, निजी या सार्वजनिक से राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिप्राप्ति/भूमि क्रय /समझौते के माध्यम से भूमि का क्रय करने, की रीति।”</p>
धारा 59 का संशोधन	12.	<p>धारा 59 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में “विशेष आवास एवं परिषद् योजना के रूप में निर्दिष्ट किये जायेंगे, प्रारम्भ किये गये हैं)” शब्दों एवं कोष्ठक के पश्चात् शब्द “उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976, उत्तराखण्ड पर्यटन क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) अधिनियम, 2013, उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 106 की उपधारा (2) के खण्ड (क), धारा 106(घ), 106(ङ), 106(च), 106(छ), 106(ज), 106(झ), 106(ञ) एवं 106(ट)” शब्द अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे।</p>

प्रमाणित प्रति

C
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य में निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण शहरीकरण की प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए सुनियोजित विकास की परिकल्पना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु राज्य सरकार इस दिशा में गम्भीरता से कार्यवाही कर रही है। सुनियोजित विकास को सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। सुनियोजित विकास की इस प्रक्रिया में प्राधिकरण तथा आमजन के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना अपरिहार्य है तथा समावेशी विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक भी है। जनहित को सर्वोपरि रखते हुए, आमजन की सुविधा एवं हितों में सन्तुलन स्थापित करने, सुनियोजित विकास हेतु "नगर नियोजन योजना" एवं "भूमि संग्रहीकरण योजना" का क्रियान्वयन किये जाने, भू-बैंक स्थापित कर प्राधिकरणों को अधिक सशक्त एवं क्रियाशील बनाये जाने के उद्देश्य से विधेयक पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

9

THE UTTARAKHAND URBAN AND COUNTRY PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) Bill, 2025

{Uttarakhand Bill No.....of 2025}

Further to amend The Uttarakhand Urban and Country Planning and Development Act, 1973, to the context of State of Uttarakhand.

A

Bill

Be it enacted in the Seventy sixth Year of the Republic of India by the Uttarakhand Legislature as follows: -

Short Title and commencement	1.	(1) This Act may be called The Uttarakhand Urban and Country Planning and Development (Amendment) Act, 2025. (2) It shall come into force at once.
Insertion of Section 2-A	2.	In The Uttarakhand Urban and Country Planning and Development Act, 1973 to the context of state of Uttarakhand (hereinafter referred to as Principal Act), in section 2 of the Principal Act- (i) for clause (o), the following clause shall be substituted; namely:- “(o) “Land Pooling Scheme” means the Land Pooling Scheme or Land Pooling Policy made under Section 9-A of this Act;” (ii) After clause (p), the following clause shall be inserted; namely :- “(q) “Land Procurement Rules” means the procurement /purchase of land by the State Authority and/or by the Local Development Authority as the case may be, as per rules under section 55”
Amendment of Section 4	3.	In Section 4 of Principal Act:- (a) clause (h), (i), (j), (l), (m) and proviso of sub section 2-A (1) shall be omitted. (b) in clause (a) of sub section 3- (i) after the words “a Chairman” the words “not below the rank of Secretary” shall be inserted. (ii) for clause (c), the following clause shall be substituted

		<p>namely;</p> <p>“(c) the Secretary to the State Government in-charge of the Department of Housing or any officer nominated by him not below the rank of Joint Secretary”</p> <p>(iii) for clause (d), the following clause shall be substituted namely;</p> <p>“(d) the Senior Superintendent of Police or Superintendent of Police (Traffic) as the case may be of every district or any part of which is included in the development area or any other officer nominated by him not below the rank of Dy. SP ex-officio”</p> <p>(iv) for clause (f), the following clause shall be substituted namely;</p> <p>“(f) the Regional Transport Officer or any other officer nominated by him not below the rank of Dy. Regional Transport Officer ex-officio”</p> <p>(v) for clause (g), the following clause shall be substituted namely;</p> <p>“(g) the Municipal Commissioner of the Municipal Corporation or Executive Officer of the Urban Local Body of the respective district or any officer nominated by him ex-officio”</p> <p>(vi) in clause (h), after the words “any person nominated by him” the words “not below the rank of Deputy Collector” shall be inserted</p> <p>(vii) clause (i) & (j) of sub section (3) shall be omitted.</p>
Amendment of Section 6	4.	In section 6 of Principal Act, in sub-section (2) after clause (d), the following clause shall be inserted namely; <p>“(dd) the Managing Director of the Jal Nigam established under the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 or any person nominated by him ex-officio”</p>
Amendment of Section 7-A	5.	In section 7-A of Principal Act after clause (xiii), the following clause shall be inserted namely: - <p>“(xiii-a) to hear revision against the orders passed under sub-section 4 of Section 18”</p>
Amendment of Section 9-A	6.	For section 9-A, of the Principal Act, the following section shall be substituted namely: - <p>“9-A Town Planning Scheme and Land Pooling Scheme: -</p> <p>(1) The State Authority and/or Local Development Authority may make one or more Town Planning Scheme and/or Land Pooling Scheme in respect</p>

<p>Insertion of new section 9-B and 9-C</p>	<p>7.</p>	<p>of any area within its development area, as prescribed in the rules framed by the State Government.</p> <p>(2) The Town Planning Scheme and/or Land Pooling Scheme so made shall be submitted to the State Government for its approval.</p> <p>(3) If any area not included, within the development area of the Local Development Authority and where the Town Planning Schemes and Land pooling Scheme has to be framed and implemented then the said area will be declared as the development area of the Local Development Authority by the State Government for the purpose of implementation of the Town Planning Scheme and/or Land Pooling Scheme: Provided that the State Government may get the work of construction and implementation of Town Planning Scheme and Land Pooling Scheme from any other agency other than the State Authority or the Local Development Authority.</p> <p>(4) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, the Town Planning Scheme and Land Pooling Scheme shall have an overriding effect over the Master Plan or Zonal Development Plan prevalent for the time being”</p> <p>After section 9-A, the following sections shall be inserted; namely: -</p> <p>“9-B Notification of Influence area by State Authority and Local Development Authority: -</p> <p>(1) The State Authority and/or Local Development Authority may notify after the approval of Draft of Town Planning Scheme, or Land Pooling Scheme as the case may be, the influence area in the periphery of the respective schemes, as the residents there shall be getting the benefits of the infrastructure development in these schemes. Such influence area shall not exceed 500 mts. from the boundary of respective schemes.</p> <p>(2) The development proposed in the influence area shall attract development charges and other levies as prescribed in the rules</p> <p>9-C Restrictions on Development-</p> <p>(1)The Local Development Authority may freeze any</p>
---	-----------	---

		<p>development or construction in the area proposed in the draft of Town Planning Scheme and/or Land Pooling Scheme as prescribed in the rules.</p> <p>(2)The State Authority may direct the Local Development Authority to freeze any development or construction in the area proposed in the draft of Town Planning Scheme and/or Land Pooling Scheme so issued by it”.</p>
Amendment of Section 17	8.	<p>In section 17 of the Principal Act-</p> <p>(i) In clause (c), for the words “ Policy, ” the words “Land Pooling Scheme” shall be substituted.</p> <p>(ii) for clause (d), the following clause shall be substituted namely: -</p> <p>“(d) Procurement/purchase of land through negotiation, from any private person/agency/company, private or public, as prescribed by rules”</p>
Insertion of new section 17-C	9.	<p>After section 17-B, the following section shall be inserted namely:-</p> <p>“17-C Land Bank of the Local Development Authority-</p> <p>(1) The Local Development Authority shall have the power to create its own land bank through-</p> <p>(a) the State Government under the Land Acquisition Act, prevalent at the time of land acquisition Rules or</p> <p>(b) Surplus land received from the State Government, or,</p> <p>(c) The Land Acquisition/Land Pooling Scheme, or,</p> <p>(d) Procurement/purchase of land/ purchase of land through negotiation, from any private person/agency/company, private or public, as prescribed by rules.</p> <p>(2) The Local Development Authority shall have the power to dispose of/transfer any land of its land bank to the State Authority/any Local Development Authority/ Company/ Agency/ Person, Private or Public, in such manner and subject to the terms and conditions as it considers expedient”</p>
Amendment of Section 18	10.	<p>In sub section (6) of section 18 of Principal Act, for the words “an appeal to the District Judge” the words “a revision before the State Authority” shall be substituted.</p>

<p>Amendment of Section 55</p>	<p>11.</p>	<p>In section 55 of the Principal Act –</p> <p>(a) in sub-section (1), the words “or State Authority” shall be omitted.</p> <p>(b) clause (c) of sub-section (2) shall be renumbered as clause (g), and the following clauses shall be inserted; after clause (b), namely: -</p> <p>“(c) the manner for implementation of ‘Land Pooling Scheme’ by the State Authority and /or Local Development Authority under Section 9-A;</p> <p>(d) the manner for implementation of ‘Town Planning Scheme’ by the State Authority and /or Local Development Authority under Section 9-A;</p> <p>(e) the levy of development charges in the development areas and in the influence areas;</p> <p>(f) the manner for procurement/ purchase of land through negotiation, from any private person(s) /agency/company, private or public by the State Authority and/or Local Development Authority;”</p>
<p>Amendment of Section 59</p>	<p>12.</p>	<p>In clause (a) of sub-section (1) of section 59 of the Principal Act after the words and bracket “Special Avas Evam Vikas Parishad Schemes)” the words “the Uttar Pradesh Area Development Act, 1976, the Uttarakhand Special Area (Planned Development and Promotion of Tourism) Act, 2013, clause (A) of sub-section 2 of Section 106, sections 106 (d), 106 (e), 106 (f), 106 (g), 106 (h), 106 (i), 106 (j) and 106 (k) of Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016” shall be inserted.</p>

प्रमाणित प्रति

C
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

विधेयक का खण्डवार विवरणों का ज्ञापन

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अधिनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. विधेयक के खण्ड 1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ के विषय में व्यवस्था उपबन्धित की जा रही है।
2. विधेयक के खण्ड 2 में "भूमि संग्रहीकरण योजना" अथवा "भूमि संग्रहीकरण नियम" का उल्लेख किया जाना प्रस्तावित है।
3. विधेयक के खण्ड 3 में राज्य प्राधिकरण के गठन हेतु सदस्यों के संबंध में प्रावधान उपबन्धित किये जाने प्रस्तावित है।
4. विधेयक के खण्ड 4 में महायोजना की तैयारी पर एवं विकास की योजना से संबंधित विषयों पर या इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न या के संबंध में सलाह देने के प्रयोजन से सलाहकार परिषद् में "उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं मल निकास अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित जल निगम के प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति को पदेन सदस्य के रूप में नामित किये जाने के उपबन्ध प्रस्तावित हैं।
5. विधेयक के खण्ड 5 में मूल अधिनियम की धारा 18 के अधीन सम्बद्ध प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि/पट्टे के समपहरण और भूमि पर पुनः प्रवेश के संबंध में पारित आदेश के संबंध में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी अपील की सुनवाई का अधिकार राज्य प्राधिकरण को प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
6. विधेयक के खण्ड 6 में अधिनियम के अध्याय-3 के शीर्षक "स्थानीय क्षेत्रीय योजना" तथा "नगर नियोजन योजना" को प्रतिस्थापित करते हुए "नगर नियोजन योजना" तथा "भूमि संग्रहीकरण योजना" के संबंध में नवीन प्रावधान प्रस्तावित हैं।
7. विधेयक के खण्ड 7 में नई धाराओं 9-ख एवं 9-ग का अन्तःस्थापन प्रस्तावित है।
8. विधेयक के खण्ड 8 में मूल अधिनियम की धारा 17 (क) राज्य प्राधिकरण का भू-बैंक उपधारा (ग) में "संकलन नीति" के स्थान पर "भूमि संग्रहीकरण योजना" जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
9. विधेयक के खण्ड 9 में नई धारा 17-ग को अन्तः स्थापन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रमाणित प्रति

C
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा उच्चिवालय
उत्तराखण्ड

10. विधेयक के खण्ड 10 में मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 6 में शब्द "जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील" के स्थान पर शब्द "राज्य प्राधिकरण के समक्ष निगरानी" का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
11. विधेयक के खण्ड 11 में मूल अधिनियम की धारा 55, नियम बनाने की शक्ति में राज्य प्राधिकरण" के अधिकार को समाप्त करते हुए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित किया जाना प्रस्तावित है
12. विधेयक के खण्ड 12 में मूल अधिनियम की धारा 59 निरसन, आदि तथा ब्यावृत्ति में "उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976, उत्तराखण्ड पर्यटन क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) अधिनियम, 2013, उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 106 की उपधारा (2) के खण्ड (क), धारा 106(घ), 106(ङ), 106(च), 106(छ), 106(ज), 106(झ), 106(ञ) एवं 106(ट)" अन्तःस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Statement of objectives and reasons

Keeping in the view the trend of urbanization due to the ever-increasing population the State Government is taking serious actions in the directions to give the concrete shape to the concept of planned development. Development Authorities has been constituted in every district of the State to ensure the planned development. In the process of the planned development, it is inevitable to establish better coordination between authority and the general public and for the inclusive development it is necessary too. Keeping the public interest paramount, it is proposed to introduce a bill establishing the balance between convenience and interests of the general public, establishing the process of Town Planning Scheme and Land Pooling Scheme for well planned development, making authorities stronger and more active by establishing a land bank.

2. The proposed Bill fulfills the above objectives.

Prem Chand Agarwal
Minister

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड